अजय तिवारी जे. के समक्ष

जे.सी. अरोड़ा-याचिकाकर्ता

बनाम

भारतीय खाद्य निगम और अन्य-प्रतिवादी

सीडब्ल्यूपी संख्या 18429, 2009

8 अगस्त 2013

भारत का संविधान, 1950 - कला। 14, 16 और 22सी - सेवानिवृत्ति लाभों से वसूली - याचिकाकर्ता वर्ष 1969 में प्रतिवादी-निगम के साथ एसी-III (डी) के रूप में सेवा में शामिल हुआ - 05.06.1972 को एसी-आई (डी) के रूप में पदोन्नत - प्रबंधक (डी) के रूप में आगे पदोन्नत किया गया 27.12.1996 को - याचिकाकर्ता सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर 31.01.2007 को सेवानिवृत्त हो गया, जिससे वह 3.5 लाख की ग्रेच्युटी और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ प्राप्त करने का हकदार हो गया - अतिरिक्त वेतन के आहरण के कारण सेवानिवृत्ति देय से 4.88 लाख की वसूली का आदेश दिया गया सेवानिवृत्ति के बाद वेतन के पुनर्निर्धारण का परिणाम, लेकिन 13.08.1985 से प्रभावी - हालाँकि, प्रतिवादी-निगम द्वारा अपने वेतन के पुनर्निर्धारण में याचिकाकर्ता की ओर से कोई गलत बयानी या धोखाधड़ी नहीं हुई थी - माना गया कि कोई वसूली नहीं की जा सकती याचिकाकर्ता के सेवानिवृत्ति बकाया से - प्रतिवादी-निगम को 3.5 लाख की ग्रेच्युटी राशि जारी करने का निर्देश दिया गया।

निर्धारित, उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि उक्त आदेश याचिकाकर्ता की सेवानिवृत्ति के लगभग 2 वर्ष 8 माह बाद पारित किये गये हैं तथा उक्त आदेश पारित करने से पूर्व उसे कोई कारण बताओ नोटिस भी जारी नहीं किया गया था। यह भी स्पष्ट है कि अपने वेतन का पुनर्निर्धारण करते समय

याचिकाकर्ता की ओर से कोई गलत बयानी या धोखाधड़ी नहीं की गई थी।

(पैरा 5)

अभिनिर्धारित, मेरी सुविचारित राय में दोनों विद्वान वकीलों के तर्क बहुत चरम हैं। किसी भी मामले में चंडी प्रसाद उनियाल और अन्य बनाम उत्तराखंड राज्य और अन्य (2012) 8 एससीसी 417 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के मद्देनजर राशि की वसूली का आदेश नहीं दिया जा सकता है और परिणामस्वरूप इसे निर्धारित किया जाता है। एक तरफ. उत्तरदाताओं को आज से एक महीने की अवधि के भीतर याचिकाकर्ता को ₹3,50,000/- की ग्रेच्युटी राशि जारी करने का निर्देश दिया जाता है, ऐसा न करने पर याचिकाकर्ता 8% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ राशि वसूल करने का हकदार होगा। सेवानिवृत्ति की तारीख से भुगतान की तारीख तक|

(पैरा 7)

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता बी.आर.गुप्ता।

हरि पाल वर्मा, प्रतिवादियों के वकील।

अजय तिवारी, जे. (मौखिक)

(1) याचिकाकर्ता वर्ष 1969 में एजी-III (डी) के रूप में प्रतिवादी-निगम के साथ सेवा में शामिल हुआ। उन्हें 5.6.1972 को एजी-आई (डी) के रूप में पदोन्नत किया गया था। अंततः 27.12.1996 को उन्हें प्रबंधक (डी) के पद पर पदोन्नत किया गया। सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर वह 31.1.2007 को सेवानिवृत्त हो गये। अपनी सेवानिवृत्ति पर वह ग्रेच्युटी और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के हकदार थे। उन्होंने अपनी ग्रेच्युटी जारी करने के लिए उत्तरदाताओं के कार्यालय का दौरा किया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसके बाद उन्हें प्रतिवादियों को दिनांक 28.11.2007 (अनुलग्नक पी-2) का कानूनी नोटिस देने के लिए बाध्य किया गया, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद उन्होंने 2008 की सी.डब्ल्यू.पी. संख्या 3055 दायर की, जिसे दिनांक 05.05.2009 के निर्णय और आदेश द्वारा निम्नलिखित शर्तों में निपटाया गया: -

"उपरोक्त बयान के मद्देनजर, इस याचिका का उत्तरदाताओं को

तीन महीने के भीतर याचिकाकर्ता के दावे पर विचार करने और उस संबंध में अंतिम आदेश पारित करने के निर्देश के साथ निपटाया जाता है। यदि याचिकाकर्ता ग्रेच्युटी के आदेश से संतुष्ट नहीं है, तो उसके लिए कानून के अनुसार इसे चुनौती देने का विकल्प खुला होगा।"

(2) इसके बाद उसके पुन: परीक्षण के बकाया को जारी करने का आदेश दिया गया। उनका मूल वेतन दिनांक 01.01.2017 से पुनः निर्धारित किया गया था। 13.8.1985 आदेश दिनांक 21.8.2009 द्वारा। इसके बाद दिनांक 27.8.2009 को एक और कार्यालय आदेश पारित किया गया जिसमें ₹3,50,000/- की ग्रेच्युटी राशि को मंजूरी दी गई। हालाँकि, उनके द्वारा अधिक वेतन निकालने के कारण उनके सेवानिवृत्ति देय से ₹4,88,113/- की राशि वसूल करने का आदेश दिया गया था। बाद में प्रतिवादी नंबर 3 द्वारा दिनांक 29.8.2009 को एक और आदेश पारित किया गया जिसमें उन्हें सूचित किया गया कि स्वीकृत ग्रेच्युटी राशि ₹3,50,000/- कथित तौर पर उच्च वेतन पाने वाले के कारण ₹4,88,113/- के अधिक भुगतान के विरुद्ध समायोज्य थी और प्रतिवादी नंबर 3 द्वारा एक नोटिस जारी किया गया था जिसमें याचिकाकर्ता को स्वीकृत ग्रेच्युटी राशि ₹3,50,000/- को समायोजित करने के बाद उस खाते पर कथित रूप से बकाया ₹1,38,113/- की राशि जमा करने का निर्देश दिया गया था। उन्होंने उक्त नोटिस का जवाब देते हुए अनुरोध किया कि याचिकाकर्ता के वेतन के पुनर्निर्धारण पर उत्पन्न होने वाली ₹1,38,113/- की कथित राशि की वसूली के लिए कोई कार्रवाई न करें, इस तथ्य के मद्देनजर कि पुनर्निर्धारण में उनकी ओर से कोई गलत बयानी या धोखाधड़ी नहीं हुई थी। उसका वेतन और यह भी कि उसका वेतन सही ढंग से तय किया गया था और उसने अपनी ग्रेच्युटी का दावा किया। कोई राहत नहीं मिलने पर उन्होंने वर्तमान याचिका दायर की।

(3) जहां तक सेवानिवृत्ति लाभों से वसूली की उनकी शिकायत का संबंध है, विद्वान वकील ने **चंडी प्रसाद उनियाल और अन्य बनाम उत्तराखंड राज्य और अन्य** (1) पर भरोसा किया है कि वसूली नहीं की जा सकती है और पैरा 14 और 17 पर भरोसा किया है। उक्त निर्णय को नीचे उद्धृत किया गया है:-

14. “हम बता सकते हैं कि सैयद अब्दुल कादिर मामले में ऐसा निर्देश उस मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए दिया गया था क्योंकि लाभार्थी या तो सेवानिवृत्त हो गए थे या सेवानिवृत्ति के कगार पर थे और ताकि किसी भी कठिनाई से बचा जा सके। उन्हें।"

17. “इसलिए, हमारा मानना है कि सैयद अब्दुल कादिर मामले (सुप्रा) और कर्नल बी.जे. अक्कारा (सेवानिवृत्त) मामले (सुप्रा) में बताए गए कुछ उदाहरणों को छोड़कर, गलत/अनियमित के कारण किया गया अतिरिक्त भुगतान वेतन निर्धारण की वसूली हमेशा की जा सकती है।”

(4) विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि ऊपर उल्लिखित कार्यालय आदेश उनकी सेवानिवृत्ति के लगभग 2 साल और 8 महीने बाद पारित किए गए हैं। उन्होंने आगे तर्क दिया कि उक्त आदेश पारित करने से पहले उन्हें कोई कारण बताओ नोटिस जारी नहीं किया गया था। विद्वान वकील के अनुसार उक्त आदेश अवैध हैं और संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन हैं। उन्होंने आगे तर्क दिया कि किसी भी मामले में चंडी प्रसाद उनियाल मामले (सुप्रा) के पैरा 14 और 17 के फैसले के मद्देनजर उनके सेवानिवृत्ति लाभों से कोई वसूली करने का आदेश नहीं दिया जा सकता था।

(5) उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि उक्त आदेश याचिकाकर्ता की सेवानिवृत्ति के लगभग 2 वर्ष 8 माह बाद पारित किये गये हैं तथा उक्त आदेश पारित करने से पूर्व उसे कोई कारण बताओ नोटिस भी जारी नहीं किया गया था। यह भी स्पष्ट है कि अपने वेतन का पुनर्निर्धारण करते समय याचिकाकर्ता की ओर से कोई गलत बयानी या धोखाधड़ी नहीं की गई थी। उत्तरदाताओं के विद्वान वकील ने यह तर्क देने की कोशिश की है कि चंडी प्रसाद उनियाल मामले (सुप्रा) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सिद्धांत के एक बिंदु के रूप में कहा है कि कर्मचारियों को दिया गया अधिक भुगतान उनके द्वारा बरकरार नहीं रखा जा सकता है।

(6) मेरी सुविचारित राय में दोनों विद्वान वकीलों के तर्क बहुत अतिवादी हैं। चंडी प्रसाद उनियाल (सुप्रा) मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के मद्देनजर किसी भी मामले में राशि की वसूली का आदेश नहीं दिया जा

सकता है और परिणामस्वरूप उसे रद्द कर दिया जाता है। उत्तरदाताओं को आज से एक महीने की अवधि के भीतर याचिकाकर्ता को ₹3,50,000/- की ग्रेच्युटी राशि जारी करने का निर्देश दिया जाता है, ऐसा न करने पर याचिकाकर्ता 8% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ राशि वसूल करने का हकदार होगा। सेवानिवृत्ति की तारीख से भुगतान की तारीख तक.

(7) पुनर्निर्धारण के संबंध में, मेरे विचार में यह न्याय के हित में होगा यदि याचिकाकर्ता आज से एक महीने की अवधि के भीतर प्रतिवादी नंबर 3 को अपना दृष्टिकोण और कारण बताते हुए एक अभ्यावेदन दायर करता है। उनकी राय में वेतन का पुनर्निर्धारण नहीं किया जा सका। प्रतिवादी नंबर 3 को इस पर विचार करने और तीन महीने की अवधि के भीतर उस पर एक स्पष्ट आदेश पारित करने का निर्देश दिया जाता है। इसके बाद, और, यदि याचिकाकर्ता किसी राहत का हकदार पाया जाता है, तो उसे तीन महीने की अतिरिक्त अवधि के भीतर जारी किया जाए।

(8) याचिका निस्तारित।

(1) (2012) 8 एससीसी 417

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

Checked By:

Sakshi Gupta

Trainee Judicial Officer

Chandigarh Judicial Academy